

2015/00281

64/2015

उषा मंगवाल / उत्तरांचल

दिनांक

आज्ञा पत्र



पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वो अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकाश फौजदार नम्बर से कम होकर बाद तत्काल तयामत दाखिल दफतर हो।

*406*  
 मू-ब्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर (कैम्प बुन्दुचुन्)

Not pressed  
*[Signature]*  
 As  
 10.2.21